उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-15/23/99-का-4-2000
लखनऊः दिनांक 20 मई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विभिन्न श्रोतों से प्राप्त हुए सुझावों को दृष्टिमें रखते हुए, आवेदन करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के उद्देश्य से, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) आवेदन प्रपत्र के साथ शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ स्वीकार की जॉय । साक्षात्कार के समय अथवा किसी पद विशेष हेतु साक्षात्कार की बाध्यता न होने पर नियुक्ति से पूर्व मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर लिया जाए ।

(2) आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली एक या एक से अधिक फोटो को भी स्वप्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाये । लिखित परीक्षा के समय कक्ष अन्तरीक्षक द्वारा अभ्यर्थी के फोटो का संज्ञान कर लिया जाय, और उसी फोटोग्राफ को साक्षात्कार/नियुक्ति केसमय संज्ञान में लिया जाय।

(3) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों से भी स्वप्रमाणित जाति प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जॉय, तथा साक्षात्कार/नियुक्ति के समय मूल प्रमाण-पत्रों से उनका मिलान कर लिया जाय ।

2- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी परीक्षाओं में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव

संख्या-15/23/99(1)/का-4-2000/तद् दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषि

1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पादित करायी जाने वाली परीक्षाओं में भी उपर्युक्त आवेदन प्रक्रिया का अनुसरण करने पर विचार करने का कष्ट करें ।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
4- सचिव, विधान परीक्षद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(डा0जी0 सी0 पाण्डेय)
विशेष सचिव